रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220344
CG-DL-E-03072020-220344

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1935] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/ आषाढ़ 11, 1942
No. 1935] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASADHA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2020

का.आ. 2189(अ).—केंन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा(1) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2643 (अ) तारीख 25 जुलाई 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खण्ड- 3 उपखण्ड (ii)] में प्रकाशित की गई थी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516 अ के (टेंभूर्णी पंढरपूर रोड) चेनेज कि.मी. 0/0 कि.मी. से 36/190 कि.मी. तक के भूखंड के निर्माण (दो लेन को पेव्हड शोल्डर के साथ चौडा करना आदि.) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, के लिए उस अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमी का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप-धारा (3) के आधीन तारीख 17/12/2019 को दैनिक सकाळ सोलापूर (मराठी) और तारीख 02/06/2020 दैनिक इंडियन एक्सप्रेस पुणे (अंग्रेजी) दोनों मे प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उनपर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) अनुसरुण में, केंन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अत; अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनूसूची मे विनिर्दिष्ट भूमी का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रुप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में 516A के कि.मी. 0 से कि.मी.36.19 (करद रोड नका पंढरपुर सोलापुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: सोलापूर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंढरपुर				
	गांव का नाम: होले				
1	229	निजी	ओली	0.0564	प्रणिता प्रणयकुमार दोशी, दिपा दिलीपकुमार दोशी, विठ्ठल सुकदेव हाके, चांगदेव नारायण हाके, मायप्पा नारायण हाके, गणपत नारायण हाके, केराबाई उत्तम शेंडगे, वनिता बाळासो गडदे (पाटिल), रुक्मिणी नारायण हाके, केरु विठू साळुंखे (229Pt)
			कुल	**0.0564**	

[फा. सं. RW/NH-2014/105/2016/MAH-P6/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2020

S.O. 2189(E).–Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2643 (A) dated the 25 July 2019, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (Rehabilitation and up-gradation of existing highway to Two Lane with paved shoulder configuration), brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km.36.190 (Tembhurni-Pandharpur Road) of NH-516 A in Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said Notification has been published in Daily Sakal Solapur (Marathi) on dated 17.12.2019 and Daily Indian Express Pune (English) on dated 02.06.2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the 516A in the stretch of land from Km. 0.00 to Km.36.190 (Karad Road Naka Pandharpur Solapur) in the district of SOLAPUR in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		**District: SOLAPUR**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandharpur				
	Viilage: Hole				
1	229	Private	Wet	0.0564	Pranita Pranaykurmar Doshi, Dipa Dilipkumar Doshi, Vitthal Sukdev Hake, Changdev Narayan Hake, Mayappa Narayan Hake, Ganpat Narayan Hake, Kerabai Uttam Shendage, Vanita Balaso Gadade (Patil), Rukmini Narayan Hake, Keru Vithu Salunkhe 229 Pt
			TOTAL	**0.0564**	

[F.No. RW/NH-2014/105/2016/MAH-P6/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.03 19:28:30 +05'30'